भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 418

जिसका उत्तर 22.07.2026 को दिया जाना है

एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट

418 # श्री नीरज डांगी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सड़कों, विशेषकर एक्सप्रेसवे पर अलग-अलग कैटेगरी की गाड़ियों के लिए स्पीड लिमिट बढ़ाने का विचार रखती है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि स्पीड लिमिट को लेकर होने वाले भ्रम से बचने के लिए सभी शहरों में एकसमान अधिकतम स्पीड लिमिट होनी चाहिए; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 112(2) के तहत, राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई भी प्राधिकरण, यदि संतुष्ट हो कि सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा के हित में या किसी सड़क या पुल की प्रकृति के कारण मोटर वाहनों की गति को प्रतिबंधित करना आवश्यक है, तो आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और धारा 116 के तहत उपयुक्त स्थानों पर उचित यातायात चिह्न लगाकर या स्थापित करवाकर, मोटर वाहनों या किसी निर्दिष्ट वर्ग या प्रकार के मोटर वाहनों या उन मोटर वाहनों के लिए जिनमें ट्रेलर जुड़ा हो, सामान्यतः या किसी विशेष क्षेत्र में या किसी विशेष सड़क या सड़कों पर, ऐसी अधिकतम गति सीमा या न्यूनतम गति सीमा निर्धारित कर सकता है, जैसा वह उचित समझे। मोटर यान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों और केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के तहत निर्मित नियमों का कार्यान्वयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित प्राधिकरणों के कार्यक्षेत्र में आता है। सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 112 के तहत कानूनी आदेशानुसार दिनांक 06.04.2018 के का.आ. 1522 के माध्यम से मोटर वाहनों के वर्ग के संबंध में अधिकतम गति को निर्धारित और प्रकाशित किया है, जैसा कि **अनुलग्नक-I** में संलग्न है।

सड़क चौराहों के लेआउट और अन्य विभिन्न सड़क तत्वों की ज्यामिति के डिजाइन के लिए डिजाइन गति का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, डिजाइन गति उस भू-भाग के वर्गीकरण द्वारा निर्धारित होती है जिससे होकर सड़क का एक भाग गुजरता है। गति सीमा मूल रूप से डिजाइन गति की तुलना में परिचालन गति में कमी को दर्शाती है, जो किसी विशेष स्थान की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है। गति सीमा को गति सीमा चिह्नों के माध्यम से लागू किया जाता है, जो अनिवार्य होते हैं, और सड़क परिवेश में गति को कम करने के लिए वास्तविक उपाय किए जाते हैं, जिन्हें सामान्य तौर पर यातायात नियंत्रण उपाय कहा जाता है। भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) ने यातायात नियंत्रण उपायों के लिए दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण आईआरसी के विनिर्देशानुसार किया जाता है।

अनुलग्नक-I

'**एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट**' के संबंध में श्री नीरज डांगी के द्वारा दिनांक 22.07.2026 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 418 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

भारत में सड़कों पर प्रति घंटा अधिकतम गति किलोमीटर में					
क्र.सं.	मोटर वाहनों का वर्ग	पहुंच नियंत्रित एक्सप्रेसवे	चार और उससे अधिक लेन वाली विभाजित सड़कें (मध्यिका/विभाजक वाली सड़कें)	नगरपालिका सीमा के भीतर स्थित सड़क	अन्य सड़कें
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1.	यात्रियों की सवारी लिए उपयोग किए जाने वाले मोटर वाहन जिनमें चालक की सीट के अतिरिक्त आठ से अधिक सीटें न हों (एम1 श्रेणी के वाहन)	120	100	70	70
2.	यात्रियों की सवारी के लिए उपयोग किए जाने वाले मोटर वाहन जिनमें चालक की सीट के अतिरिक्त नौ या अधिक सीटें हों (एम2 और एम3 श्रेणी के वाहन)	100	90	60	60
3.	माल ढुलाई के लिए उपयोग किए जाने वाले अधिक वाहन (सभी एन श्रेणी के वाहन)	80	80	60	60
4.	मोटर साइकिलें	80*	80	60	60
5.	क्वाड्रिसाइकिल	-	60	50	50
6.	तीन पहिया वाहन	-	50	50	50
*यदि एक्सप्रेसवे पर चलने की अनुमति हो।					

*****